फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

तालुराम बनाम उदा तोगा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन मुकदमा नम्बर 163/2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/6/24	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री मोहनलाल खिलेरी यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 136 RLR Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/6/24 को पेश हो । पुनश्च तहसीलदार सेड़वा को नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया ।	
27/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिल। अदम तामिल अप्राप्त। इंतजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25/07/24 को पेश हो।	
16/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने व आवश्यक सुनवाई करने बाबत पेश कर पत्रावली पेशी पर लेने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओप० कुमार	

ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा से नाम दुरस्ती हेतु रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। विपक्षीगण वकील ने नाम दुरस्ती की रिपोर्ट पर No Objection किया है। वकील प्रार्थी ने नाम दुरस्ती की रिपोर्ट पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया गया।। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक रिपोर्ट का अध्ययन, अवलोकन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री विरेन्द्रसिंह भाटी)

...स्व आवेदन सं. 163/2024

...न्तर्गत धारा 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बाबुराम पुत्र पनाराम जाति विश्नोई, निवासी रोहिला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. उदा पुत्र तुलछा 2. एलची पत्नि ठाकरा 3. कुनणी पत्नि मंगलाराम 4. करनाराम पुत्र भागीरथ 5. जगदीश पुत्र ठाकरा 6. जगदीश पुत्र भारूराम 7. जोधाराम पुत्र हरीराम 8. झमूदेवी पत्नि हीराराम 9. ठाकराराम पुत्र हीराराम 10. धुड़ी पत्नि हरलाल 11. पांचाराम पुत्र भारूराम 12. भाखराराम पुत्र भारूराम 13. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम 14. रामूराम पुत्र भारूराम 15. रामलाल पुत्र चन्दा 16. रिड़मल पुत्र काछबा 17. लाखा पुत्र कोहला 18. लाखा पुत्र कोहला 19. विरधाराम पुत्र भारूराम 20. वीजाराम पुत्र भारूराम 21. शंकराराम पुत्र भागीरथ 22. सोहनलाल पुत्र चन्दा जाति विश्नोई, निवासी रोहिला, तहसील सेड़वा 23. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थी वकील – श्री मोहनलाल खिलेरी

दिनांक 16/07/2024

–: निर्णय :–

प्रार्थी बाबुराम पुत्र पनाराम जातियान विश्नोई निवासी रोहिला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि सरहद मौजा राहिला, पटवार क्षेत्र सोनड़ी, भू–अभिलेख क्षेत्र सोनड़ी, तहसील सेड़वा में प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त का खेत खसरा संख्या 263 रकबा 0.1133 हैक्टर, खसरा संख्या 281 रकबा 3.3103 हैक्टर, खसरा संख्या 413/237 रकबा 33.7669 हैक्टर, खसरा संख्या 415/237 रकबा 1.0522 हैक्टर का आया हुआ है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम बाबुराम दर्ज करना था तथा प्रार्थी के पिता का नाम पनाराम दर्ज करना था जो रैकर्ड करते वक्त हल्का पटवारी व राजस्व एजेन्सी ने लिपिकीय भूल, घरेलू बोल–चाल की भाषा में प्रार्थी का नाम बाबुराम की जगह बाबुड़ा तथा प्रार्थी के पिता पनाराम की जगह पना दर्ज कर दिया, जो लिपिकीय भूल से गलत दर्ज कर दिया है, प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबुराम है, व प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम पनाराम ही है तथा जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पहचान–पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि से साबित है। लेकिन राजस्व रैकर्ड में लिपिकीय भूल से गलत नाम लिख देने से मैं प्रार्थी उक्त लिपिकीय भूल को दुरूस्त करवाने का हकदार होने से प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी बाबुराम की जगह बाबुड़ा लिख देने से तथा प्रार्थी के पिता का नाम लिपिकीय भूल से पनाराम की

16/7/24

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

...ना लिख देने से प्रार्थी को हर जबह तहर–तरह की उलझने पैदा होती है। जिससे प्रार्थी के ...ा.सी कार्ड लेने, बैंक से ऋण लेनें, गिरदावरी लगान इत्यादि में हर जगह उक्त लिपिकीय त्रुटि से ...ुविधा पैदा होती है। जिससे मैं प्रार्थी रैकर्ड दुरूस्ती करवानें का हकदार होने से प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त रैकर्ड दुरूस्ती करने से खाते में किसी प्रकार का किसी खातेदार का कोई हक प्रभावित नहीं होता है तथा नहीं राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसी सुरत में उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करना न्याय संगत है। प्रार्थी के अन्य तमाम् दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम बाबुराम है तथा पिता का नाम पनाराम है। उक्त लिपिकीय भूल की हमे कतई जानकारी नहीं रही तथा न ही हमनें कभी रैकर्ड का पठन करवाया। अभी के.सी.सी करवाने गये व जमाबंदी की नकले इत्यादि ली तो ज्ञात हुआ कि हमारे खाते में उक्तानुसार लिपिकीय त्रुटि रह गई है। जिससे मै उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने का हकदार होने से एवं उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने योग्य होने से प्रार्थनापत्र पेश है। सरहद मौजा रोहिला पटवार क्षेत्र सोनड़ी, तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 263 रकबा 0.1133 हैक्टर, खसरा संख्या 281 रकबा 3.3103 हैक्टर, खसरा संख्या 413/237 रकबा 33.7669 हैक्टर, खसरा संख्या 415/237 रकबा 1.0522 हैक्टर आराजी में गलत नाम से की गई लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कर बाबुड़ा की जगह बाबुराम व प्रार्थी के पिता का नाम पना की जगह पनाराम दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किये गये। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजुद कोई उप. नही हुआ अतःउनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इस संबंध में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया जो प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकर्ड में मौके भूमि ग्राम राहिला की वर्तमान जमाबंदी 2078 (2022) से स्थायी के खाता संख्या 6 खसरा संख्या 263, 281, 413/237, 415/237 रकबा 0.1133 है. 3.3103 है. 33.7669 है, 1.0522 हैक्टर कुल रकबा 38.2427 हैक्टर किस्म क्रमश गै.मू. बा.सोयम, बा.दोयम, बा. दोयम में खातेदार बाबुराम पुत्र पनाराम का नाम बाबुड़ा पुत्र पना हिस्सा 1/3 जाति विश्नोई सा. रोहिला अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। प्रार्थी बाबुराम के ग्राम रोहिला के राशनकार्ड बारकोर्ड संख्या 20000032971 में बाबुलाल आधार कार्ड संख्या 794728910898 में बाबुराम पुत्र पनाराम, मतदाता परिचय पत्र में बाबुराम पुत्र पनाराम तथा एसबीबीजे सेड़वा के बैक खाता संख्या 61303842666 तथा इनके पुत्र किशनाराम के आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैक खाता डायरी, राशनकार्ड में पिता का नाम बाबुराम अंकित है। अतः प्रार्थी के आधार कार्ड, परिचय पत्र बैंक खाता डायरी एवं इनके पुत्र के पहचान दस्तावेज में अंकित पिता के नाम बाबुराम के आधार पर ग्राम रोहिला के खसरा संख्या 263, 281, 413/237, रकबा क्रमशः 0.1133 है, 3.3103 हैक्टर, 33.7669 हैक्टर, 1.0522 हैक्टर कुल रकबा

15/7/24
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

हैक्टर खातेदार बाबुड़ा पुत्र पना हिस्सा 1/3 के स्थान पर सम्मानजनक नाम बाबूराम पुत्र ...राम कि जाति विश्नोई सा.रोहिला शुद्व किया जाना उचित है। फर्द मौका पढकर सुनाई गई। मौके ...र उपस्थित खातेदार, पड़ौसियान एवं मौतबरान ने सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान किये। जो फर्द का अभिन्न अंग है।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उक्त अनवान पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी बाबुराम पुत्र पनाराम जाति विश्नोई निवासी रोहिला तहसील सेड़वा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रोहिला पटरवार क्षेत्र सोनड़ी भू अभिलेख क्षेत्र सेड़वा के खसरा संख्या 263 रकबा 0.1133 हैक्टर, खसरा संख्या 281 रकबा 3.3103 हैक्टर, खसरा संख्या 413/237 रकबा 33.7669 हैक्टर, खसरा संख्या 415/237 रकबा 1.0522 हैक्टर भूमि में नाम दुरस्त प्रार्थीगण का नाम बाबुड़ा के स्थान पर बाबुराम और प्रार्थी के पिता का नाम पना के स्थान पर पनाराम दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को दिया जाता है तथा तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16/07/24 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

16/7/24

(विरेन्द्रसिंह भाटी RAS)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा